राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............981 / 2014.............................. जिला ....बीकानेर...

उनवान : मैसर्स ए.डी. फूड प्रोडक्टस्, बीछवाल इण्ड0 एरिया, बीकानेर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–बीकानेर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23 / 06 / 2014	<u>एकलपीठ</u> <u>श्री अमर सिंह– सदस्य</u> अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन नम्बर 232 / 2013–14 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) के अन्तर्गत पारित किये गये स्थगन आदेश दिनांक 23.04.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, बीकानेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 10.02.2014 से अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध सृजित कुल मांग राशि रूपये 75,919 / – के विरूद्ध स्थगन को अस्वीकार किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा रूपये 75919 / – को विवादित किया है। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी । अपीलार्थी की ओर से श्री नारायण दास प्रो. ने तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अविधिक एवं कानून के विरूद्ध है। अपीलार्थी पहले से ही नुकसान में चल रहा है अगर उसे स्थगन नहीं मिला तो उसकी आर्थिक स्थिति ओर खराब हो जायेगी। अतः प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण, वसूली योग्य मांग राशि रू0 75919 / – पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया, रेकार्ड का अवलोकन किया एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के ही अपील संख्या 1866 / 2012 / बीकानेर निर्णय दिनांक 17.03.2013, 157, 158 / 2014 लगातार............2	

लगातार............2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............981 / 2014.................................. जिला ....बीकानेर..

उनवान : मैसर्स ए.डी. प्रोडक्टस्, बीछवाल इण्ड0 एरिया, बीकानेर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–बीकानेर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23 / 06 / 2014	–: 2 :– /बीकानेर निर्णय दिनांक 06.03.2014 में स्थगन को स्वीकार कर वसूली पर रोक लगाई गई थी। इसी तरह अपील संख्या 710 / 2014 / बीकानेर निर्णय दिनांक 09.05.2014 एवं अपील संख्या 753 / 2014 / बीकानेर निर्णय दिनांक 14.05.2014 में भी स्थगन पर रोक लगाई गई थी। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशि रूपये 75,919 / – की वसूली बाबत्, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही 3 माह तक स्थगित रखी जाती है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण कर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। आदेश सुनाया गया। [signature] 23-6-14 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	